उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-196/2019/2883/92-2-19-27जॉच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 16 दिसम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 13-12-2018 में डब्ल्यूबीएम (जी-2) एवं डब्ल्यूबीएम(जी-3) में फिलर मैटेरियल/स्क्रैनिंग मैटेरियल की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-08/2019/91/92-2-19-27जांच/2018 दि0 08-01-2019 द्वारा श्री एम0पी0 सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0 -अलीगढ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री एम0पी0 सिंह अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 30-06-2019 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 30-06-2019 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के द्रष्टिगत उनके विरूद्ध उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1595/92-2-19-27जांच/2018 दि0 22-07-2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ के पत्र संख्या-195/ग्रा0अ0वि0/वैय0सहा0/पत्रा0सं0-26/19-20 दि0 01-06-2019 द्वारा उपलबध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 02 आरोपो में से दोनो आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1594/92-2-19-27जांच/18 दि0 19-07-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी से स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अभ्यावेदन मांगा गया, जो कि उनके पत्र सं0-341 /ग्रा0अ0वि0/पीआईयू/जांच-आख्या-1757/19-20 दि0 19-08-19 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी को प्रश्नगत निर्माण कार्य में पर्यवेक्षणीय दायित्व के समुचित निर्वहन न करने में आंशिक रूप से उत्तरदायी पाया गया है परन्तु प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति नहीं पाये जाने, मार्ग निर्माण के लगभग डेढ वर्ष उपरांत एस0 क्यू0एम0 द्वारा किये गये निरीक्षण में मार्ग की दशा संतोषजनक पाये जाने एवं अपचारी अधिकारी को दि0 30-06-2019 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्तहो जाने के दृष्टिगत किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत श्री एम0पी0 सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, पीआईयू-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-01-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-196/2019/2883/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री एम0पी0 सिंह, तत्का0 अधि0अभि0,ग्रा0अभि0विभाग,प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति-सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।